सार-समाचार

प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021

विशेष योग्यजन को घर बैठे मिला पट्टा

जयपुर (कासं)। प्रशासन शहरों के संग अभियान -2021 के तहत मंगलवार को सांगानेर जोन में नगर निगम रोड़, विकास पथ, सांगानेर में रहने वाले विशेष योग्यजन अनिल शर्मा को घर बैठे पट्टा दिया गया। उपायुक्त सांगानेर जोन संगीता मीणा ने लाभार्थी के घर पर जाकर 69-ए का पट्टा दिया। उपायुक्त ने बताया कि पोलियाग्रस्त अनील शर्मा व्हील चेयर के बिना चल फीर नहीं पाते है। इसको ध्यान में रखते हुये नगर निगम ग्रेटर के सांगानेर जोन द्वारा उन्हें घर बैठे पट्टा दिया गया।

नगर निगम हेरिटेज की बड़ी कार्रवाई

नगरीय विकास कर नहीं जमा कराने पर संगम टावर और मोती महल सिनेमा को कुर्क किया

चार अन्य फर्मों से 25लाख रुपए मोके पर वसूले किये

जयपुर (कासं)। नगर निगम जयपुर हेरिटेज की महापौर श्रीमती मुनेश गुर्जर एवं आयुक्त अवधेश मीना के निर्देश पर सिविल लाइन जोन के डीसी राम किशोर मेहता ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए नगर निगम के विकास कर का बकाया कर जमा नहीं कराने पर बुधवार को संगम टावर के कार्यालय एवं मोती महल सिनेमा पर नोटिस चस्पा एवं सीज कर कुर्क कर लिया गया। सिविल जॉन के उपायुक्त रामकिशोर मेहता ने बताया कि संगम टावर पर 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2021 तक समाप्त होने तक राजस्थान नगर विकास निगम कर नियम 2007 के तहत बकाया 23 लाख 22 हजार 690 रुपये, इसी प्रकार मोती महल सिनेमा पर 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2021 तक 17 लाख 42 हजार 656 रुपए निगम निगम का बकाया विकास कर नहीं चुकाने पर सीज किया गया है। अगर निर्धारित अवधि तक इन भवनों के मालिकों ने निगम विकास कर नहीं चुकाया तो निलामी कर वसूल किया जाएगा। उपायुक्त मेहता ने बताया कि मौके पर ही विस्टा इंटरनेशनल से 20 लाख 18 हजार 23 रुपए इसी प्रकार 205 लक्ष्मी कंपलेक्स से एक लाख 9 हजार 48 रुपए 211 लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स से 1 लाख 8 हजार 119 रुपए तथा फिरोजो कोयली मार्टिन से 1 लाख 64 हजार 853 रुपए की राशि वसूल की गई।

नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण रेल यातायात प्रभावित

गाडियॉ रद्द/मार्ग परिवर्तित होगी

जयपुर (कासं)। रेलवे प्रशासन द्वारा उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मण्डल के शुजातपुर स्टेशन पर डीएफसी लाइन निर्माण कार्य के कारण नॉन इण्टर लाकिंग कार्य किया जा रहा है। नॉन इण्टर लॉकिंग कार्य के कारण यातायात प्रभावित होगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार गाडी संख्या 12323, हावडा-बाडमेर रेलसेवा दिनांक 21.01.22 को रद्द रहेगी। गाडी संख्या 12324, बाडमेर-हावडा रेलसेवा दिनांक 26.01.22 को रद्द रहेगी। गाडी संख्या 22308, बीकानेर-हावडा एक्सप्रेस रेलसेवा जो दिनांक 26.01.22 को बीकानेर से रवाना होगी वह अपने निर्धारित मार्ग वाया अछनेरा-टूण्डला-प्रयागराज-नैनी जं.-मिर्जापुर के स्थान परिवर्तित मार्ग वाया अछनेरा-आगराकैंट-झांसी-मानिकपुर जं.-प्रयागराज छिवकी-मिर्जापुर होकर संचालित होगी। रेलसेवा का मार्ग परिवर्तन के कारण यात्रियों की सुविधा के लिए परिवर्तित मार्ग पर आगराकैंट एवं प्रयागराज छिवकी स्टेशन पर 2 मिनट का ठहराव दिया जायेगा।

आमान परिवर्तन के पश्चात् डूंगरपुर से पहली रेलसेवा का संचालन 15 को

असारवा-हिम्मतनगर-असारवा डेमू रेलसेवा का डूंगरपुर स्टेशन तक विस्तार

जयपुर (कासं)। रेलवे प्रशासन द्वारा डूंगरपुर-हिम्मतनगर रेलखण्ड के आमान परिवर्तन के पश्चात् असारवा-हिम्मतगनर-असारवा रेलसेवा का डूंगरपुर स्टेशन तक विस्तार किया जा रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया कि दिनांक 15 जनवरी को डूंगरपुर से उद्घाटन स्पेशल रेलसेवा का संचालन किया जायेगा। नियमित रेलसेवा का संचालन दिनांक 17.01.22 से सप्ताह में छः दिन (रविवार को छोड़कर) किया जायेगा। गाडी संख्या 09544, डूंगरपुर-असारवा उद्घाटन स्पेशल रेलसेवा दिनांक 15.01.22, शनिवार को डूंगरपुर से 14.20 बजे रवाना होकर 19.00 बजे असारवा स्टेशन पहुॅचेगी। नियमित रेलसेवा गाडी सं 09543, असारवा-डूंगरपुर डेमू स्पेशल रेलसेवा दिनांक 17.01.22 से सप्ताह में छः दिन (रविवार को छोड़कर) असारवा से 10.00 बजे रवाना होकर 14.30 बजे डूंगरपुर पहुंचेगी। इसी प्रकार गाडी सं. 09544, डूंगरपुर-असारवा डेमू स्पेशल रेलसेवा दिनांक 17.01.22 से सप्ताह में छः दिन (रविवार को छोड़कर) डूंगरपुर से 14.50 बजे रवाना होकर 19.15 बजे असारवा पहुंचेगी। यह रेलसेवा मार्ग में साहिजपुर, सरदारग्राम, नरोडा, मेदरा, दाभोदा, नांदोल देहगाम, जलीय मथ, रखियाल, खेरोल, तलोद, खारी अमरापुरा, प्रांतिज, सोनासन, हापा रोड, हिम्मतनगर, वीरावाडा, रायगढ, सुनाक, शामलाजी रोड, लुसदिया, जगाबोर, बेछीवाड़ा, भावनाथ व शाला शाह थाना स्टेशनों पर ठहराव करेगी।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री को सीएसआर के तहत सौंपे 700 नेबुलाइजर

जयपुर (कासं)। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा को बुधवार को यहां सिप्ला लिमिटेड की ओर से सीएसआर के तहत प्रदेश के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए 700 नेबुलाइजर किट सौंपे गए। मीणा ने सीएसआर के तहत सिप्ला लिमिटेड की ओर से सौंपे गए नेबुलाइजर किट को लेकर उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि सिप्ला की तरह अन्य संस्थाओं को भी आगे आकर आमजन के सहयोग के लिए प्रयास करना चाहिए।

राज्य स्तरीय पशुपालक सम्मान समारोह में 405 पशुपालकों को किया सम्मानित

राज्य सरकार प्रदेश में पशुधन के विकास के लिए प्रतिबद्ध- कटारिया

जयपुर (कासं)। कृषि एवं पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश में पशुधन के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशानुरूप पशुपालकों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य स्तरीय पशुपालक सम्मान योजना के रूप में नवाचार किया गया है। किसानों के हित में भी कई फैसले पिछले तीन साल में लिए गए हैं। अगले वित्तीय वर्ष से किसानों के लिए अलग से बजट प्रस्तुत किया जाएगा। कटारिया बुधवार को यहां शासन सचिवालय के कॉफ्रेन्स हॉल में वर्चुअली आयोजित राज्य स्तरीय पशुपालक सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि, पशुपालन एवं डेयरी तीनों विभाग प्रयासरत हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत दुग्ध संकलन पर 2 रुपए प्रति लीटर की दर से अनुदान दिया जा रहा है। पशुपालन मंत्री ने पशुधन को किसान की जीवन रेखा बताते हुए कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं की सम्पूर्ण जानकारी गांव-गांव तक पहुंचे, ताकि गरीब पशुपालक को लाभ मिल सकें। कटारिया ने बबाई (खेतड़ी) में 10 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत से तैयार नवीन डेयरी संयंत्र का भी लोकार्पण किया। पशुपालन मंत्री ने बताया कि इस कार्यक्रम में राज्य के 405 प्रगतिशील पशुपालकों को सम्मानित किया गया है। राज्य स्तर पर सम्मानित होने वाले 2 पशुपालकों को पचास-पचास

हजार रुपए, जिला स्तर पर सम्मानित होने वाली सात महिला पशुपालकों सहित 68 पशुपालकों को पच्चीस-पच्चीस हजार रुपए तथा पंचायत समिति स्तर पर सम्मानित होने वाली 32 महिला पशुपालकों सहित 335 पशुपालकों को दस-दस हजार रुपए की राशि प्रोत्साहन स्वरुप प्रदान की गयी है। इस अवसर पर पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने कहा कि किसान का पशुधन उनकी सामाजिक एवं आर्थिक सम्पन्नता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि जहां बारानी खेती है या सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं है वहां पशुपालन ही किसान का मुख्य व्यवसाय है और आजीविका का प्रमुख साधन भी है। डोटासरा ने कहा कि किसान खुशहाल हों और उनकी आमदनी बढ़े इस दिशा में राज्य सरकार ने कई कदम उठाए हैं। पिछले तीन साल में लिए गए फैसलों से किसानों को मजबूती मिली है। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के माध्यम से किसानों को कृषि कनेक्शन पर 12 हजार रुपए वार्षिक अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना से करीब तीन लाख किसानों का बिजली बिल शून्य हो गया है।

'इंवेस्ट बीकानेर समिट' में हुए 120 एमओयू-एलओआई

बीकानेर में होगा पंद्रह हजार करोड़ का निवेश

वर्चुअल माध्यम से जुड़े प्रभारी मंत्री कटारिया,

शिक्षा मंत्री डॉ. कल्ला, उद्योग मंत्री श्रीमती रावत और आपदा प्रबंधन मंत्री मेघवाल

जयपुर (कासं)। जिले में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहन देने तथा निवेश के अनुकूल वातावरण उपलब्ध करवाने के उद्देश से 'इन्वेस्ट बीकानेर समिट' का आयोजन बुधवार को होटल लक्ष्मी निवास बीकानेर में हुआ। इस दौरान 84 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टेंडिंग (एमओयू) तथा 36 लेटर और इंटेंट (एलओआई) हुए। जिनसे बीकानेर में लगभग 15 हजार करोड़ रुपये के निवेश होगा तथा लगभग 20 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा।

प्रभारी मंत्री लाल चंद कटारिया ने किया वर्चुअल सम्बोधन

बीकानेर में आयोजित कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से जुड़ते हुए कृषि एवं पशुपालन मंत्री तथा जिला प्रभारी मंत्री लाल चंद कटारिया ने कहा कि पहली बार आयोजित हुए ऐसे कार्यक्रमों से जिलों में औद्योगिक निवेश बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कृतसंकल्प है तथा ऐसी योजनाएं प्रारम्भ की गई हैं, जिनके दूरगामी अच्छे परिणाम सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि जिले में तीन नए औद्योगिक क्षेत्र शीघ्र विकसित होंगे, इससे भी औद्योगिक परिदृश्य में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।

शिक्षा मंत्री डॉ. बी. डी. कल्ला ने वर्चुअल माध्यम से

संबोधित करते हुए कहा कि आज प्रदेश में औद्योगिक निवेश के अनुकूल माहौल बना है। हमारे यहां भूमि, साधन और मानव संसाधन की पर्याप्त उपलब्धता है तथा निवेश के प्रति इच्छा शक्ति है। राज्य सरकार की मंशा भी यही है कि बीकानेर में भरपूर निवेश हो। उन्होंने कहा कि पश्चिम राजस्थान में सौर ऊर्जा से बिजली पैदा करने की अपार संभावना है। हमारा प्रदेश 1 लाख 42 हजार मेगावाट बिजली बना सकता है। अभी तक हम छह हजार मेगावाट बिजली सौर ऊर्जा के माध्यम से बनाकर देश में पहले स्थान पर हैं।

उद्योग मंत्री श्रीमती शकुंतला रावत भी वर्चुअल माध्यम से जुड़ीं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में प्रदेश में मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना और वन स्टॉप शॉप जैसी योजनाएं चल रही हैं।

मूल्यांकन विभाग के क्षमता, सुदृढ़ीकरण हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

जयपुर (कासं)। संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम एवं आयोजना विभाग राजस्थान सरकार के मध्य हुए समझौता पत्र के तहत मूल्यांकन विभाग के तकनीकी स्टाफ की कार्यदक्षता के उन्नयन हेतु प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन किया जा रहा है।

इस कड़ी में योजना भवन स्थित निदेशालय में बुधवार को SAMBODHI संस्थान एवं WFP द्वारा संयुक्तरूप से आयोजित इस तीसरे प्रशिक्षण सत्र में मूल्यांकन विभाग के मुख्यालय एवं संभाग स्तर के समस्त अधिकारी एवं तकनीकी कर्मियों ने वीसी के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया।

इस प्रशिक्षण सत्र में SAMBODHI संस्थान के अभिषेक शर्मा, सहायक उपाध्यक्ष शोध एवं WFP के अधिकारियों द्वारा ''मूल्यांकन संदर्भ में सैम्पलिंग की तकनीकों, उसके प्रकारों, व विभिन्न केस स्टड़ीज के मूल्यांकन की कार्यप्रणाली में उपयोग आदि के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई।

ज्ञानदूत 2.0 का ऑनलाइन उद्धाटन कार्यक्रम

विद्यार्थियों की पढ़ाई हर संभव जारी रखेंगे- उच्च शिक्षा राज्य मंत्री

जयपुर (कासं)। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री राजेन्द्र सिंह यादव ने स्वामी विवेकानन्द जयंती के अवसर पर बुधवार को विद्यार्थियों की शैक्षणिक सहायता, मार्गदर्शन और परीक्षाओं की तैयारी के लिए विशेष सहायता कार्यक्रम ज्ञानदूत के द्वितीय संस्करण का शुभारम्भ किया। कॉलेज शिक्षा विभाग की ओर से आरंभ ज्ञानदूत 2.0 के ऑनलाइन उद्धाटन कार्यक्रम को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए उच्च शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम में नयापन करते हुए सभी राजकीय विश्वविद्यालयों के उन विषयों, जो राजकीय महाविद्यालयों में संचालित हैं, के पाठ्यक्रमों के अनुसार हिन्दी भाषा में ई-कंटेंट तैयार करवाये जा रहे हैं। इसके लिये कॉलेज शिक्षा विभाग द्वारा फिलहाल कला संकाय के 8, विज्ञान के 4 एवं वाणिज्य के 2 विषयों सहित कुल 14 विषयों में यह ई-कंटेंट तैयार करवाने की पहल की गई है। इसमें मांग के अनुसार और भी विषयों को सम्मिलित किया जा सकता है। इसके लिये 9 राजकीय महाविद्यालयों को विषयवार नोडल बनाया गया है। यादव ने कहा कि इस विशेष अकादमिक सहायता कार्यक्रम की अपनी आवश्यकता है जिसमें विद्यार्थियों को अच्छी गुणवत्ता का ई-कंटेंट हिन्दी भाषा में ऑनलाइन उपलब्ध होगा, जिसे 24 × 7 मोड पर कहीं से भी और कभी भी देखा-पढ़ा जा सकेगा। साथ ही प्रत्येक सप्ताह विद्यार्थियों की विषयपरक समस्याओं का ऑनलाइन लाइव समाधान भी इस कार्यक्रम में करवाया जायेगा, जिससे विद्यार्थी अपनी शंका का समाधान कर सकेंगे। विशेषतः अभी कोविड की जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, उनमें इस ज्ञानदूत 2.0 कार्यक्रम की प्रासंगिकता और बढ़ गई है।

उन्होंने कहा कि जब कोरोना की दूसरी लहर के समय इस ज्ञानदूत का प्रथम चरण आरम्भ किया था, तो वह विद्यार्थियों के लिए काफी लाभप्रद रहा।

जयपुर डिस्कॉम की आमजन से अपील

पतंग उड़ाते समय सावधानी बरतें, सुरक्षित व निर्बाध बिजली आपूर्ति में सहयोग करें

जयपुर (कासं)। मकर सक्रांन्ति पर्व पर पतंग उड़ाने के दौरान बिजली की लाईनों से पर्याप्त दूरी बनाये रखने के साथ ही कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखकर विद्युत संबंधी किसी भी संभावित दुर्घटना से बचा जा सकता है एवं विद्युत आपूर्ति में व्यवधान को भी रोका जा सकता है। जयपुर डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक नवीन अरोड़ा ने बताया कि मकानों के पास से गुजर रही बिजली की लाईनों के आसपास पतंग उड़ाते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए और यदि बिजली के तारों या उपकरणों में पतंग या डोर फंस जाए तो उसे खींचकर अथवा धातु की छड़ आदि से छुड़ाने का प्रयास नही करना चाहिए। यदि कोई पतंग फंस जाए तो लोहे अथवा एल्मूनियम के पाईप, सरिए या गीली लकड़ी से हटाने का कतई प्रयास नही करें। उन्होंने बताया कि एल्यूमिनियम फॉयल (धातु) से बनी हुई पतंग एवं मेटल पाउडर कोटेड मांझे का उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि ये विद्युत चालक का कार्य करते हैं और विद्युत दुर्घटना की दृष्टि से बहुत खतरनाक हैं।

अरोड़ा ने बताया कि मांझे का उपयोग विद्युत लाईनों के साथ-साथ दो पहिया वाहनों व परिन्दों के लिए भी घातक होता है। मेटल पाउडर से बने मांझे के बिजली के तारों में उलझने से हाई वॉल्टेज उत्पन्न होने पर विद्युत उपकरणों को क्षति पहुंचने का खतरा रहता है। असामान्य परिस्थितियों में अपने प्रतिष्ठान व निवास के विद्युत उपकरणों एवं वायरिंग कि सुरक्षा हेतु भारतीय विद्युत नियमों के अनुसार उचित रेटिंग की इएलसीबी एवं एमसीबी का उपयोग करना चाहिए। विद्युत आपूर्ति में व्यवधान संबंधी शिकायतों के निवारण हेतु जयपुर डिस्कॉम के उपभोक्ता अपनी शिकायतें कॉल सेन्टर के टेलीफोन नंबर 0141-2203000 एवं टोल फ्री नम्बर 18001806507 अथवा 1912 पर दर्ज करा सकते हैं। सभी नागरिकों से अनुरोध है कि विद्युत आपूर्ति में व्यवधान एवं जान-माल की अनावश्यक हानि रोकने के लिए निगम का सहयोग करें। आपके सहयोग से बिजली की सुरक्षित एवं निर्बाध आपूर्ति हो सकेगी और पतंगबाजी से होने वाली संभावित दुर्घटनाओं से भी बचा जा सकेगा।

कार्यालय नगरपालिका मण्डल जोबनेर, जिला-जयपुर

क्रमांक/न.पा.जो./2021-22/2862 दिनांक 12.01.2022

निविदा सूचना

उपयुक्त श्रेणी की सभी पंजीकृत ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि नगर पालिका जोबनेर द्वारा कुल 1 कार्यो की आमंत्रित निविदा राशि 24.41 लाख की सम्बंधित शर्ते व अन्य विवरण वेबसाईट www.sppp.rajasthan.gov.in and eprocrajasthan से एवं कार्य दिवस में कार्यालय समय में पालिका कार्यालय से देखा व प्राप्त किया जा सकता है। निविदा कार्यों के यूबीएन नम्बर निम्न प्रकार है:- 1- DLB2122WSOB23395

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका जोबनेर

केएसएस पेट्रोन प्राइवेट लिमिटेड की कृषि भूमि की बिक्री के लिए ईओएल ई-नीलामी जमा करने की अंतिम तिथि का विस्तार

ग्राम - गाजी, पटवार, क्षेत्र - दूदू, तहसील - मौजमाबाद, जिला -जयपुर, अजमेर रोड, राजस्थान - 303009 स्थित केएसएस पेट्रोन प्राइवेट लिमिटेड की कृषि भूमि की बिक्री के लिए ई-नीलामी के लिए सार्वजनिक सूचना के क्रम में ('नीलामी साइट'), इस समाचार पत्र में 04.01.2022 को प्रकाशित, एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि रुचि की अभिव्यक्ति (ईओएल) जमा करने की अंतिम तिथि **28.01.2022** तक बढ़ा दी गई है। प्रक्रिया दस्तावेज़ के संदर्भ में अन्य समय-सीमा भी तदनुसार बढ़ाई गई/संशोधित की गई है। इस संबंध में, कॉर्पोरेट देनदार की वेबसाइट https://ksspetron.in/liquidation.html. पर अपलोड किए गए संपूर्ण विवरण के लिए कृपया प्रक्रिया दस्तावेज़, संस्करण 1.1 दिनांक 13.01.2022 देखें।
केएसएस पेट्रोन प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापन में) के लिए
हस्ताक्षर/-
सीएस विनीत के चौधरी
परिसमापक
केएसएस पेट्रोन प्राइवेट लिमिटेड के मामले में
आईबीबीआई पंजीकरण संख्या: IBBI/IPA-002/IP-N00103/2017-18/10246 liquidatorksspetron@vkcindia.com (प्रक्रिया विशिष्ट) ip.vineetchaudhary@gmail.com (IBBI के साथ पंजीकृत)
आईबीबीआई में पंजीकृत समापक का पता: डी-38, एलजीएफ (एल/एस), साउथ एक्सटेंशन, पार्ट-II, नई दिल्ली-110049 फोन: 011-49121644-45 दिनांक: 13.01.2022 स्थान: नई दिल्ली

एक्सिस बैंक लिमिटेड
(सीआईएन : L65110GJ1993PLC020769)
स्ट्रक्चर्ड असेट्स ग्रुप, कॉर्पोरेट कार्यालय, एक्सिस हाऊस, 7वीं मंजिल, सी-2, वाडिया इंटरनेशनल सेंटर, पांडुरंग बुधकर मार्ग, वर्ली, मुंबई 400 025.
दूर. (मो.) 97697 98789/ 9820146186/ 022-24255728 वेबसाइट: www.axisbank.com

कब्जा सूचना (अचल मालमत्ता के लिए)

(सीक्युरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) नियम, 2002 के नियम 8(1) सहवाचन परिशिष्ट 4 अनुसार)
जिसप्रकार,

अधोहस्ताक्षरीत एक्सिस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सीक्युरिटायजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शिअल असेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सीक्युरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 (एक्ट क्र. 54/2002) अंतर्गत एवं सीक्युरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के नियम 8 सहवाचिता अनुच्छेद 13 (12) अंतर्गत प्राप्त अधिकार के साथ कर्जदार श्रीमती इंदू सुरेशमाल लोढा, श्री सुरेशमाल कालयानमाल लोढा, श्री अंकूर सुरेशमाल लोढा एवं श्री अमित सुरेशमाल लोढा (इसके आगे कॉर्पोरेट इन्सोल्वेंसी ठराव प्रक्रिया के तहत इंदसूर ग्लोबल लि. - कर्जदार के द्वारा प्राप्त विभिन्न पत सुविधा के संबंध में गारंटर/गिरवीदार के रूप में संदर्भित) को सदर सूचना में निर्देशित रकम का रु. 44,28,05,986/- (रु. चव्वालीस करोड़ अठ्ठाईस लाख पांच हजार नौ सौ छियासी मात्र) का प्रदान दि. 01.01.2021 से ब्याज के साथ दि. 31.12.2020 तक थकित रकम का प्रदान कंत्राटी दर द्वारा प्रदान करने की तिथि तक सदर सूचना की तिथि से 60 दिन के अंदर करने के निर्देश देने वाली मांग सूचना दि. 21.01.2021 को जारी की गई थी।

गारंटर/ गिरवीदार द्वारा सदर रकम का प्रदान करने में अपयशी होने के कारण, सदर सूचना गारंटर/गिरवीदार एवं आम जनता को इस प्रकार दी जा रही हैं कि, अधोहस्ताक्षरित सदर नियम के सीक्युरिटी इंटरेस्ट एन्फोर्समेंट नियम 2002 के अनुच्छेद 13 के उप अनुच्छेद (4) सहवाचन सदर नियम 8 अंतर्गत उन्हे प्राप्त अधिकार के अंतर्गत निम्न निर्देशित मालमत्ता का दि. 07 जनवरी, 2022 को कब्जा लिया हैं।

विशेषत: गारंटर/गिरवीदार एवं आम जनता को इशारा दिया जाता हैं कि, वह सदर मालमत्ता के संदर्भ में व्यवहार न करें एवं कोई भी व्यवहार एक्सिस बैंक लि. के प्रभार के अंतर्गत रु. 44,28,05,986/- (रु. चव्वालीस करोड़ अठ्ठाईस लाख पांच हजार नौ सौ छियासी मात्र) दि. 31.12.2020 को थकित रकम के साथ अधिक ब्याज के साथ मूल्य आदि के प्रभार के अंतर्गत रकम के ब्याज के साथ अधीन होगी।

गारंटर/ गिरवीदार ध्यान दें की, प्रतिभूत मालमत्ता के अनुसार एक्ट के अनुच्छेद 13 के उप अनुच्छेद 8 के प्रावधान अंतर्गत समय उपलब्ध होना जरूरी हैं।

अचल मालमत्ता का विवरण :
(इंदसूर ग्लोबल लि. के द्वारा प्राप्त पत सुविधा के लिए प्रतिभूती)

एक्सिस बैंक एवं बैंक ऑफ बडोदा के प्रतिभूती के रूप में प्रस्तावित कोलॅटरल मालमत्ता पर पहिला परी-पासू प्रभार

श्री सुरेश माल लोढा बट्टेड के नाम से दुसरी मंजिल, युनिट क्र. बी-1, प्लॉट क्र. एसपी-1, अंजली चेंबर्स, सुंदर नगर, शॉपिंग सेंटर, राजभवन रोड, सिविल लाईन्स, जयपुर तहत होने वाली मालमत्ता एवं सीमा निम्न अनुसार :
पूर्व : राज भवन रोड
दक्षिण : रोड
पश्चिम : प्लॉट क्र. 1
उत्तर : शॉपिंग सेंटर

दिनांक : 07-01-2022
स्थान : मुम्बई

हस्ता/-
प्राधिकृत अधिकारी
एक्सिस बैंक लिमिटेड

सांकेतिक कब्जे की सूचना

ICICI Bank **शाखा कार्यालय:** आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, तीसरी मंजिल, प्लॉट नंबर- 23, न्यू रोहतक रोड, करोल बाग, दिल्ली- 110005

जबकि

अधोहस्ताक्षरी ने आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्जदार और डीएचएफएल के बीच हुए ऋण अनुबंध के अनुसरण में मंजूर की गई आवास ऋण सुविधा के संबंध में प्रतिभूति के प्रवर्तन के संबंध में, निम्नवर्णित कर्जदारों को (बुनियादी समूह दीवान हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड द्वारा आईसीआईसीआई बैंक को समनुदेशित किए जाने पर) मांग सूचनाएं जारी की थी, जिसमें उनसे सूचना में वर्णितानुसार बकाया राशि का भुगतान, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी।

कर्जदार उपरोक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्द्वारा कर्जदार और जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा निम्नवर्णित तिथियों को प्राप्त कर लिया है।

कर्जदार को विषेश रूप से तथा जन साधारण को एतद्द्वारा उक्त सम्पत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है तथा उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड की बकाया राशि के प्रभाराधीन होगा।

क्र.	कर्जदार का नाम/(ऋण खाता नंबर) (डीएचएफएल पुराना ऋण खाता नंबर एवं आईसीआईसीआई नया ऋण खाता नंबर)	सम्पति का विवरण/ सांकेतिक कब्जे की तिथि	मांग सूचना की तिथि/ मांग सूचना में राशि (रु.)	शाखा का नाम
1.	संजय उदावत/ दीपिका शर्मा- (900014062-QZJNV00005042745) डी 6/346, जी एफ चित्रकूट, वैशाली नगर के पास, जयपुर, राजस्थान- 302021	टी 107, प्लॉट नंबर ए-2/354, चित्रकूट सेक्टर 2, ब्लू स्टार स्कूल के पास, राजस्थान, जयपुर- 302021/ 10 जनवरी 2022	सितंबर 27, 2019 ₹.31,44,690.00/-	जयपुर

उपरोक्त दर्शाये गये कर्जदार/सह-कर्जदार एवं जमानतदारों को सूचित किया जाता है कि इस सूचना के प्रकाशन से 30 दिनों के अंदर राशि का भुगतान करें अन्यथा 30 दिनों की समाप्ति के पश्चात अधिग्रहित संपत्ति की नीलामी कर दी जायेगी जो पूर्णत: नियम 8 और 9 सुरक्षित ब्याज 2002 के अंतर्गत है।

दिनांक: जनवरी 13, 2022
स्थान: जयपुर

प्राधिकृत अधिकारी
आईसीआईसीआई बैंक लि.

आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड
Aadhar Housing Finance Ltd
कार्पोरेट कार्यालय : युनिट नं. 802, नटराज रुस्तमजी, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे एवं एम.वी. रोड़, अंधेरी (पश्चिम), मुम्बई - 400069.
जयपुर शाखा : सांघी उपासना टॉवर में 5वीं मंजिल, पी.नं. सी-98, सुभाष मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302001 (राजस्थान)

परिशिष्ट IV आधिपत्य सूचना (अचल संपत्ति हेतू)

जहॉ कहीं, आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (AHFL) के प्राधिकृत अधिकारी के तौर पर सिक्युरीटाइजेशन एंड रिकंस्टक्शन ऑफ फायनेंशियल एसेट्स एण्ड इंफोर्समेन्ट ऑफ सिक्युरिटी इंटस्ट एक्ट 2002 एवं सिक्युरिटी इंटस्ट (इंफोर्समेन्ट) नियम 2002 का नियम 3 के साथ सपठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को उपयोग करते हुए कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपरोक्त सूचना प्राप्ति के 60 दिवस में नीचे सूचना में वर्णित राशि का पुर्नभुगतान करने के लिए ऋणकर्ताओ/प्रतिभूतिकर्ताओं को मांग सूचना (ए) जारी की थी। ऋणकर्ताराशि का पूर्नभुगतान करने में असफल रहे है, सिक्युरिटी इंफोर्समेन्ट नियम 2002 के नियम 8 के साथ सपठित उपरोक्त कानून की धारा 13 के सब-सेक्शन (4) के अंतर्गत के साथ प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए ऋणकर्ता(ओ)/ प्रतिभूतिकर्ता(ओ) एवं सामान्य जनों को सार्वजनिक रूप में सूचित किया जाता है वर्णित संपत्ति पर अधोहस्ताक्षरकर्ता ने अधिगृहण कर लिया है। धरोहर संपत्ति के एवज में संपत्ति को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय सीमा पर कानून की धारा 13 का सब सेक्शन (8) के प्रावधानों पर ऋणकर्ताएं ध्यान देवे। ऋणकर्ता को विशेष रूप में एवं सामान्य जनो को सार्वजनिक रूप से यह चेतावनी दी जाती है कि संपत्ति के साथ कोई व्यवहार न करें एवं संपत्ति के साथ कोई व्यवहार नीचे वर्णित राशि के साथ शेष देय ब्याज के लिए AHFL के शुल्क के विषयानुसार होगी।

स. क्र.	ऋणकर्ता(ओ)/प्रतिभूतिकर्ता(ओ) (शाखा का नाम)	धरोहर संपत्ति विवरण (अचल संपत्ति)	मांग सूचना का दिनांक एवं राशि	आधिपत्य की दिनांक
1.	(एपलिकेशन नं. 00216257/ जयपुर शाखा) राजेन्द्र कुमार चौधरी (ऋणी)	संपत्ति का समस्त शेष एवं संपूर्ण भाग, प्लाट नं. सी-126, गणेश नगर-13 दूध मण्डी सिकर रोड़, जयपुर, राजस्थान - 302013. **चर्तुःसीमा** - पूर्वः रोड़ 30 फीट, पश्चिम : प्लाट नं. सी-129, उत्तर : प्लाट नं. सी-125, दक्षिण : प्लाट नं. सी-127.	07-10-2021 ₹ 12,36,029/-	07-01-2022

स्थान : जयपुर
दिनांक : 13.01.2022

प्राधिकृत अधिकारी
आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड